

HPR और HFR रजिस्ट्रेशन की चेकलिस्ट

NHA के हेल्थ फ़ैसिलिटी रजिस्ट्री SOP और NHPR पोर्टल (nhpr.abdm.gov.in) से।

शुरू करने से पहले

- ☐ आधार कार्ड, और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर (पोर्टल पर दूसरे KYC का विकल्प भी है)
- ☐ अकाउंट के लिए एक ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर
- ☐ आधार से जुड़ा फ़ोन पास रखें — हर स्टेप पर, और आखिर में ई-साइन के लिए भी OTP आता है

HPR के लिए (डॉक्टर, नर्स, फ़ार्मासिस्ट)

- ☐ काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर और काउंसिल का नाम
- ☐ आपका नाम ठीक वैसा ही जैसा काउंसिल के रिकॉर्ड में है — आधार में नाम अलग हो तो पहले ठीक कराएं
- ☐ पढ़ाई की डिग्रियां (कालिफ़िकेशन)
- ☐ आप कहां काम करते हैं

HFR के लिए (क्लीनिक, हॉस्पिटल, लैब, मेडिकल स्टोर)

- ☐ फ़ैसिलिटी मैनेजर की Healthcare Professional ID — पहले इंसान का रजिस्ट्रेशन, फिर फ़ैसिलिटी का
- ☐ फ़ैसिलिटी का नाम ठीक वैसा ही जैसा बोर्ड पर लिखा है, छोटा करके नहीं
- ☐ मालिकाना हक़ (ओनरशिप), चिकित्सा पद्धति, फ़ैसिलिटी का टाइप और सब-टाइप
- ☐ पिन कोड के साथ पूरा पता
- ☐ कौन-कौन सी सेवाएं हैं, कितने बेड और बाकी सुविधाएं (ये आप खुद प्रमाणित करते हैं — ध्यान से भरें)
- ☐ ज़रूरी नहीं, पर काम का: बिल्डिंग की फ़ोटो, नाम वाले बोर्ड की फ़ोटो, पते का सबूत

पोर्टल पर (nhpr.abdm.gov.in)

- ☐ आधार से Healthcare Professional ID बनाएं और उसे लिखकर रख लें
- ☐ फ़ैसिलिटी के लिए: Facility Manager के रूप में लॉग इन करें और Register a new facility चुनें
- ☐ अगर पोर्टल मिलती-जुलती फ़ैसिलिटी दिखाए, तो नई बनाने के बजाय अपनी पुरानी लिस्टिंग चुनें
- ☐ नक्शे पर पिन ठीक अपनी बिल्डिंग पर लगाएं — पता और पिन मेल न खाएं तो वेरिफ़िकेशन नहीं होता
- ☐ जांचें, ई-साइन करें और सबमिट करें; 12 अंकों की Health Facility ID तुरंत मिल जाती है

सबमिट करने के बाद

- ☐ वेरिफ़ायर के सवालों का जल्दी जवाब दें — NHA के SOP में वेरिफ़ायर को 30 दिन मिलते हैं
- ☐ पोर्टल की पब्लिक सर्च में अपनी लिस्टिंग जांच लें
- ☐ फ़ैसिलिटी ID और हर डॉक्टर की ID वहां रखें जहां रिसेप्शन पर तुरंत मिल जाए
- ☐ पोर्टल में दिक्कत हो तो: NHA हेल्पलाइन 1800-11-4477 या 14477